संख्या–वे0आ0–2–397/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में वन विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा वन विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) प्रादेशिक वन सेवा में वर्तमान में उपलब्ध उप निदेशक के 22 पदों के स्थान पर 05 पद संयुक्त निदेशक पदनाम से वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) में तथा 17 पद उप निदेशक वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) में रखे जाय।

(2) क्षेत्रीय वन अधिकारी के 50 पदों को सहायक वन संरक्षक वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) में उच्चीकृत किया जाय।

(3) वन रक्षक, हेड वन रक्षक तथा फारेस्टर के पद पर निम्न व्यवस्था रखी जाये :––

(I) वन रक्षक के पदों पर शारीरिक मांप दण्ड तथा शैक्षिक अर्हता यथावत् बनाये रखते हुए इन पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 2750–4400 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 3050–4590 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/–) अनुमन्य कराया जाये।

(II) हेड वन रक्षक के पदों को बनाये रखते हुए इन पदों पर रू0 3200–4900 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–) के स्थान पर पुलिस विभाग के हेड़ कांस्टेबिल के समान रू0 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–)का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान तथा वन रक्षक के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भर्ती।

(III) वनविद (फारेस्टर) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–) के स्थान पर पुलिस विभाग के ए0एस0आई0 (एम) के समान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान और हेड वन रक्षक के पद से शत–प्रतिशत पदोन्नति।

(4) उप वन राजिक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) तथा वनविद (फारेस्टर) के पदधारकों से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया को यथावत बनाये रखा जाये।

(5) क्षेत्रीय वन अधिकारी वेतनमान रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के स्थान पर रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) का उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया जाये।

(6) पूर्व उप प्रस्तरों में संस्तुत व्यवस्था के आधार पर वन विभाग में विभागीय अधिकारी संवर्ग का ढ़ॉचा तथा वन रक्षक, हेड वन रक्षक, वनविद (फारेस्टर), उप वन राजिक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाय :—

क0 सं0	पदनाम/पदों की संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एव ग्रेड वेतन) (रू0)	पद पर भर्ती की श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संयुक्त निदेशक/ 05	12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 15600– 39100 एवं ग्रेड वेतन 7600/–)	उप निदेशक (प्रान्तीय वन सेवा) से प्रोन्नति द्वारा।

2	उप निदेशक (प्रान्तीय वन सेवा) / **17**	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 15600–39100एवं ग्रेड वेतन 6600/–)	सहायक वन संरक्षक (प्रान्तीय वन सेवा) से प्रोन्नति द्वारा
3	सहायक वन संरक्षक (प्रान्तीय वन सेवा) / **208**	8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 15600–39100एवं ग्रेड वेतन 5400/–)	50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदों पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पद से प्रोन्नति द्वारा
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी / **660**	7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4800/–)	वर्तमान में निर्धारित अर्हता के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत उप वन राजिकों से पदोन्नति द्वारा।
5	उप वन राजिक / **564**	5000–8000 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4200	वन दरोगा/ फारेस्टर्स से पदोन्नति द्वारा।
6	वनविद (फारेस्टर) / **2338**	4500–7000 (वेतन बैण्ड–15200–20200 एवं ग्रेड वेतन 2800/–)	50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती। शैक्षिक अर्हता– इण्टरमीडिएट कृषि/ विज्ञान। 50 प्रतिशत पदोन्नति हेड फोरेस्ट गार्ड से पदोन्नति द्वारा।
7	हेड फारेस्ट गार्ड / **729**	4000–6000 (वेतन बैण्ड–1 5200– 20200 एवं ग्रेड वेतन 2400/–)	वन रक्षकों से पदोन्नति द्वारा।
8	वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड)/ वन्य जन्तु रक्षक/ **3177**	3050–4590 (वेतन बैण्ड–1 5200– 20200 एवं ग्रेड वेतन 1900/–)	वर्तमान में निर्धारित शारीरिक मापदण्ड तथा शैक्षिक अर्हता/भर्ती की प्रकिया पुलिस विभाग के कांस्टेबिल के समान।

(7) सांख्यिकीय अधिकारी वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3) से सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) वेतनमान रु0 8550–14600 के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था है। साथ ही सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) के पदों से मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी/उप निदेशक (सांख्यिकीय), वेतनमान रू0 10000–15200 के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 8000–13500 तथा रू0 8550–14600 के लिए एक समान वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– निर्धारित होने के फलस्वरूप पोषक तथा पदोन्नति के पद समान ग्रेड वेतन में

आ रहे हैं। उक्त स्थिति में सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) वेतनमान रु0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–) के पदों को मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी/उप निदेशक (सांख्यिकीय) वेतनमान रु0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/–) के पद के साथ संविलीन किया जाये। उक्त संविलियन के उपरान्त मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी/उप निदेशक (सांख्यिकीय) के पदों पर सांख्यिकीय अधिकारी वेतनमान रु0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–) के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये।

(8) विभाग में सृजित साहित्यक सहायक वेतनमान रु0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) तथा टांगिया अध्यापक वेतनमान रु0 3050–4590 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900/–) के पदों को मृत संवर्ग घोषित करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाये।

(9) समिति द्वारा पूर्व उप प्रस्तरों में की गयी संस्तुति के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(10) वन विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होगी।

(11) वन विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–3१० (1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।